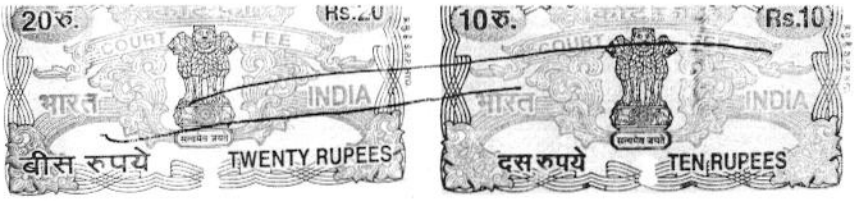

20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–टीकमगढ़

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2816

1– ओमप्रकाश पुत्र श्री रामदास
2– वेदप्रकाश पुत्र श्री रामदास
3– जय प्रकाश पुत्र श्री रामदास
4– भागीरथ पुत्र श्री पूरनलाल
5– घनश्यामदास पुत्र श्री पूरनलाल
6– अमान सिंह पुत्र श्री पूरनलाल

निवासीगण – ग्राम गुदरई तहसील ओरछा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

घासीराम पुत्र श्री चन्ने कुशवाह
निवासी – ग्राम गुदरई तहसील ओरछा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक ओरछा द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/अ–12/2016–17 में पारित आदेश पंचनामा दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम गुदरई में स्थित भूमि खसरा नं. 3/6/2/1, 5/1 रकवा क्रमशः 0.316, 1.577 है0 भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया।

2. यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/अ–12/2016–17 पर पंजीबद्ध कर चौहदी कृषको को सूचना पत्र दिये जाने का आदेश पारित किया। एवं मौके पर सीमांकन हेतु तारीख पेशी दिनांक 14.06.2017 नियत की गयी। उक्त दिनांक का सूचना पत्र मेढिया कृषको को नहीं दिया गया और न ही उनके समक्ष सीमांकन ही किया गया। एक तथा कथित सीमांकन पंचनामा दिनांक 14.06.2017 को तैयार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2816 ओमप्रकाश विरूद्ध घासीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~21-01-2019~~ 17.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक ओरछा के प्रकरण क्रमांक 71/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 17.01.19 सदस्य	